FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector SINGRAULI

****

No.5489/FRA/TRIBAL/2023 SINGRAULI Dated 17/07/2023

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCREN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) of the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. it is certified that 229.348 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Nigahi Expansion Project of M/s Northern Coalfields Limited, Singrauli (Govt. of India Undertaking)for Opencast Coal Mining in Singrauli district falls within jurisdiction of Ward No. 2, Laxmibai Ward(Village –Muher) in Singrauli Compartment No RF 272, RF 273, RF 274).

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 229.348 hectares of forest land purposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Mohalla Forest Rights Committees(s), Mohalla Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan Singrauli are enclosed as annexure 1 (1-20) . annexure 2 (1-06)

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular / local language) have been places before each concerned Mohalla Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Mohalla Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and the details for proposed diversion. A copy of certificate issued by the Mohalla sabha of Ward No. 2, LaxmibaiWard(Village – Muher) in Singrauli Nagar Palik (Municipal Corporation), Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, Singrauli & District levelForest Rights Committee, Singrauli and is enclosed as annexure 3(01-14) annexure 4 (01-03)

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when was a quorum of minimum 50% of the Members of Mohalla Sabha presence,

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Mohalla Sabha have given their consent to it,

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl. As above.

Collector
DISSTT-SINGRAULI

मोहल्ला वन अधिकार समिति वार्ड क्र0-02 लक्ष्मीबाई वार्ड मुहेर नगर निगम जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक 3396...मो0समिति/2021 सिंगरौली दिनांक 25.11.2021

प्रति,

श्रीमान उपायुक्त महोदय,
नगर पालिक निगम, कार्यालय बैढ़न
जिला – सिंगरौली (म0प्र0)

3039
26.11.21

विषयः- एनसीएल निगाही ओ0सी0पी0 के पक्ष में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार के दावों के निराकरण करने हेतु मोहल्ला वन समिति वार्ड क्र0-02 की बैठक एवं कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भः- आपका पत्र क्र0- 3032/ न0नि0/ वन अधि0/ 2021
दिनाँक 07.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत के संबंध में एनसीएल निगाही ओ0सी0पी0 विस्तार परियोजना के पक्ष में नगर निगम अन्तर्गत वन भूमि स्थित रकबा 244.536 हे0 प्रस्तावित है (प्लान संलग्न)। उक्त रकबा नगर निगम सिंगरौली क्षेत्र मध्यप्रदेश के अन्तर्गत आता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में वन अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु वार्ड क्र0-02 (लक्ष्मीबाई वार्ड में गठित मोहल्ला समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों को पत्र के माध्यम से सूचित कर दावा आपत्ति के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित तिथि को बैठक की सूचना दी गई (छायाप्रति संलग्न)।

व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार के दावों को प्राप्त करने के लिये गठित मोहल्ला वन अधिकार समिति की बैठक मुहेर स्थित धिलारीपाट में शासकीय विद्यालय में दिनाँक 10.11.2021 को सुबह 11.30 बजे आयोजित की गई। दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सर्व साधारण को सूचना देने के संबंध में बैठक पूर्व सूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया (प्रति संलग्न)। उक्त पूर्व निर्धारित बैठक में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों के साथ-साथ नगर निगम एवं एनसीएल के पदाधिकारी मय दस्तावेज के साथ उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सभी

व्यक्तियों को वन भूमि के व्यपवर्तन एवं दावों / अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

दिनाँक 10.11.2021 को उक्त बैठक में वन भूमि स्थित रकबा 244.536 हे0 को एनसीएल निगाही ओ0सी0पी0 के पक्ष में (व्यपवर्तन) हेतु किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा मान्य दावा किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

अतः मोहल्ला वन अधिकार समिति वार्ड क0- 02 लक्ष्मीबाई वार्ड को निगाही ओ0सी0पी0 के पक्ष में व्यपवर्तन हेतु किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त व्यपवर्तन को बिना किसी आपत्ति के सर्व-सम्मति से किये जाने की अनुशंसा भी करती है।

प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार एवं बैठक की कार्यवाही विवरण।

सन्तोष
अध्यक्ष
मोहल्ला वन अधिकार समिति
वार्ड क0- 02
नगर पालिक निगम, सिंगरौली

सचिव
मोहल्ला वन अधिकार समिति
वार्ड क0- 02

प्रतिलिपिः-

1- आयुक्त नगर पालिक निगम, जिला-सिंगरौली (म0प्र0)
2- आयुक्त (आदिवासी विकास), जिला- सिंगरौली (म0प्र0)
3- सचिव, उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति।
4- महाप्रबंधक, निगाही क्षेत्र।

दिनांक - 10.11.2021

आज दिनांक 10-11-2021 दिन बुधवार को वन अधिकारों के प्रस्तुत दावों का परीक्षण हेतु मोहल्ला वन अधिकार समिति चन्देलघाटी (?) वार्ड क्रमांक 02 नगर निगम क्षेत्र सिंगरौली - मध्यप्रदेश की कार्यवाही विवरण :-

" एन० सी० एल० निगाही परियोजना Expansion 00 के क्षेत्र में नगर निगम अन्तर्गत वन भूमि स्थित रकबा 244.536 हेक्टेयर के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार के दावों का परीक्षण करने हेतु मोहल्ला वन अधिकार समिति चन्देलघाटी (?) वार्ड क्रमांक 02 की बैठक दिनांक 10.11.2021 दिन (बुधवार) को सुबह 11:30 बजे से आयोजित की गई। दावा आपत्ति प्रस्तुतकरने हेतु संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार एवं आमजन व सभी सदस्यों को सूचना देने के संबंध में बैठक आयोजन के पूर्व सूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया था। उक्त पूर्व निर्धारित बैठक में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष सचिव व सदस्यों के साथ-साथ नगर निगम एवं एन० सी० एल० के पदाधिकारी/कर्मचारी के समक्ष उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सभी जन को वन भूमि के व्यपवर्तन एवं दावा/अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

दावा आपत्ति निम्नानुसार पाई गई :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार पत्र धारक का नाम	खसरा क्रमांक एवं कुल रकबा -	अन्य विवरण
1.		×	×	×
2.	×	×	×	×
3.	×	×	×	×

RF-271 रकबा 15.88

बैठक में आरक्षित वन खण्ड RF-273 रकबा 51.769 एवं RF-272 रकबा 136.535 RF-276 रकबा 41.044 कुल रकबा 244.536 हेक्टेयर भूमि को एन० टी० पी० सी० लिमिटेड परियोजना ओ०सी०पी० की उक्त भूमि में व्यवसायिक हेतु किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दावा किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः मोहल्ला वन अधिकार समिति मुहेर वार्ड नं० 02 (लोहदीवाल वार्ड) को सिंगरौली परियोजना विस्तार ओ० सी० पी० के पक्ष में व्यवसायिक हेतु किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। एवं उक्त व्यपवर्तन के बिना किसी आपत्ति के किए जाने की अनुशंसा भी करती है।

मोहल्ला वन अधिकार समिति, बैठक उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर —

क्र०	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	जमुना प्रसाद यादव	सदस्य	[signature]
2.	दशरथ प्रसाद साकेत		[signature]
3.	गब्बर प्रसाद सिंह	पार्षद	[signature]
4.	समर जीत सिंह	पूर्व पार्षद	[signature]
5.	राम नारायण सिंह	"	[signature]
6.	राज धनपाल सिंह		[signature]
7.	रामायण सिंह	सचिव	रामायण सिंह
9.	हरिशंकर वर्मा		[signature]
10.	रामरक्षा कुशवाहा		[signature]

क्र	नाम — पद —	
11	लोलनसिंह	
12	मुन्नालालसिंह	
13)	मेवासिंह	
14	गोपाल सिंह	गोपालसिंह
15	रामभानु सिंह	
16)	नरेन्द्र सिंह	
17	बृजेन्द्र कुमार कुशवाहा	
18)	रविकुमार कुशवाहा	
19)	इन्द्रपाल अनुरागी मा	
20)	पुष्पराज सिंह	पुष्पराज
21)	तेजस्वर सिंह,	तेजस्वर सिंह
22)	आनन्द सिंह	
23)	हरिनारायण	HARINARAYAN
24)	शिवप्रसाद सिंह	शिवप्रसाद सिंह
25)	रामलखन सिंह	रामलखन सिंह
26		
27		
28	रामगोपाल भारती	Ram Bharti
29	सागर	
30		
31		
32	बाबूलाल	
33		
34		
35		
36		
37		

38	डा. लिल उमरावसिंह	प्रभारी अधि० जनप्रका० पु०	
39	केशव शर्मा	उप प्रबंधक (पर्यावरण), सिंगाही	
40	भीम सिंह	वन पर्यवेक्षक 1 सिंगाही	
41	रमापति त्रिपाठी	भाई प्रभारी 2	
42	कुलभूषण सिंह	—	
43	कमलेश्वर शाह	—	
44	केशव नन्द		
45	मुन्नी गंगा अगरीया		मुन्नी ग अगरीया

कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक 2387 /मो0समिति/2021 दिनांक- 28/10/2021

प्रति,

अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष

सचिव......

समिति......

विषयः—मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति का बैठक की सूचना के सम्बन्ध में ।

—00—

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को समय सुबह 11.30 बजे स्थान ग्राम मुहेर शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिलारी पाठ में निम्न बिन्दुपर मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी। एन0सी0एल0 निगाही परियोजना द्वारा प्रस्तावित वार्ड कमांक 02 मुहेर निगाही परियोजा के वन भूमि की शसक्तीकरण हेतु परिवर्तित हेने वाली वन भूमि (वन खण्ड कमांक कुल रकवा –244.536 हेक्टेयर के सम्बन्ध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर सम्बधित वन क्षेत्र में निवासरत है या निर्भर हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकतें है।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनें समिति के समस्त सदस्यो के साथ बैठक में उपस्थित होनें की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिंगरौली

कमांक/ 2387 /मो0समिति/2021 दिनांक– 28/10/2021

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ।

1. कलेक्टर जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा प्रबंधक निगाही परियोजना की ओर सादर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिंगरौली

सन्तोष

कार्यालय नगर पालिक निगम सिगरौली जिला सिगरौली (म0प्र0)

क्रमांक 2386 /मो0समिति / 2021 दिनांक-28/10/2021

प्रति

अध्यक्ष मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति

सचिव........

समिति........

विषयः-मोहल्ला समिति / वन अधिकार समिति का बैठक की सूचना के सम्बन्ध में ।

-00-

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को समय सुबह 11.30 बजे स्थान ग्राम मुहेर शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिलारी पाठ में निम्न बिन्दुपर मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी। एन0सी0एल0 निगाही परियोजना द्वारा प्रस्तावित वार्ड कमांक 02 मुहेर निगाही परियोजा के वन भूमि की शसक्तीकरण हेतु परिवर्तित हेने वाली वन भूमि (वन खण्ड कमांक कुल रकवा -244.536 हेक्टेयर के सम्बन्ध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर सम्बधित वन क्षेत्र में निवासरत है या निर्भर हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकतें है।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनें समिति के समस्त सदस्यो के साथ बैठक में उपस्थित होनें की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

दिनांक- 28/10/2021

कमांक / 2387 / मो0समिति / 2021

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ।

1. कलेक्टर जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा प्रबंधक निगाही परियोजना की ओर सादर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम सिगरौली, जि0 सिगरौली (म0प्र0)

क्रमांक 2347 / मो0समिति / 2021 दिनांक- 28.10.2021

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

सचिव........................

समिति........................

बिषयः-मोहल्ला समिति / वन अधिकार समिति का बैठक की सूचना के सम्बन्ध में ।

-00-

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को समय सुबह 11.30 बजे स्थान ग्राम मुहेर शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिलारी पाठ में निम्न बिन्दुपर मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी। एन0सी0एल0 निगाही परियोजना द्वारा प्रस्तावित वार्ड कमांक 02 मुहेर निगाही परियोजा के वन भूमि की शसक्तीकरण हेतु परिवर्तित हेने वाली वन भूमि (वन खण्ड कमांक कुल रकवा -244.536 हेक्टेयर के सम्बन्ध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर सम्बधित वन क्षेत्र में निवासरत है या निर्भर हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकतें है।।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनें समिति के समस्त सदस्यो के साथ बैठक में उपस्थित होनें की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कमांक / 2347 / मो0समिति / 2021 दिनांक- 28/10/2021

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ।

1. कलेक्टर जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा प्रबंधक निगाही परियोजना की ओर सादर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम सिगरौली, जिा सिगरौली (म0प्र0)

क्रमांक /2386 /मो0समिति/2021

दिनांक-22.10.2021

प्रति,

श्री जमुना प्रसाद यादव

सचिव.......................................

समिति.......................................

वन अधिकार

बिषयः-मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति का बैठक की सूचना के सम्बन्ध में ।

-00-

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को समय सुबह 11.30 बजे स्थान ग्राम मुहेर शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिलारी पाठ में निम्न बिन्दुपर मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी। एन0सी0एल0 निगाही परियोजना द्वारा प्रस्तावित वार्ड कमांक 02 मुहेर निगाही परियोजा के वन भूमि की शसक्तीकरण हेतु परिवर्तित हेने वाली वन भूमि (वन खण्ड कमांक कुल रकवा -244.536 हेक्टेयर के सम्बन्ध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर सम्बधित वन क्षेत्र में निवासरत है या निर्भर हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकतें है।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनें समिति के समस्त सदस्यो के साथ बैठक में उपस्थित होनें की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कमांक/ 2387 /मो0समिति/2021

दिनांक- 28/10/2021

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ।

1. कलेक्टर जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा प्रबंधक निगाही परियोजना की ओर सादर सूचनार्थ।

जमुना प्रसाद यादव

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम सिगरौली,जि सिगरौली (म0प्र0)

क्रमांक 2386 /मो0समिति/2021 दिनांक-28.10.2021

प्रति,

श्री रामअवतार सिंह

अध्यक्ष / सचिव .... सदस्य

समिति .... वन अधिकार

विषय:-मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति का बैठक की सूचना के सम्बन्ध में ।

—00—

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को समय सुबह 11.30 बजे स्थान ग्राम मुहेर शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिलारी पाठ में निम्न बिन्दुपर मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी। एन0सी0एल0 निगाही परियोजना द्वारा प्रस्तावित वार्ड क्रमांक 02 मुहेर निगाही परियोजा के वन भूमि की शसक्तीकरण हेतु परिवर्तित हेने वाली वन भूमि (वन खण्ड क्रमांक कुल रकवा -244.536 हेक्टेयर के सम्बन्ध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर सम्बधित वन क्षेत्र में निवासरत है या निर्भर हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकतें है।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनें समिति के समस्त सदस्यो के साथ बैठक में उपस्थित होनें की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

क्रमांक/ 2387 /मो0समिति/2021 दिनांक- 28/10/2021

प्रतिलिपि-सूचनार्थ।

1. कलेक्टर जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा प्रबंधक निगाही परियोजना की ओर सादर सूचनार्थ।

रामअवतार सिंह

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम सिगरौली,जि सिगरौली (म0प्र0)

क्रमांक/2386 /मो0समिति/2021 दिनांक-20.10.2021

प्रति,

श्री रामजीत सिंह - वार्ड क्र 02 मुहेर

सचिव.......सचिव........

समिति........

वन अधिकार

बिषयः-मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति का बैठक की सूचना के सम्बन्ध में ।

-00-

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को समय सुबह 11.30 बजे स्थान ग्राम मुहेर शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिलारी पाठ में निम्न बिन्दुपर मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी। एन0सी0एल0 निगाही परियोजना द्वारा प्रस्तावित वार्ड कमांक 02 मुहेर निगाही परियोजा के वन भूमि की शसक्तीकरण हेतु परिवर्तित हेने वाली वन भूमि (वन खण्ड कमांक कुल रकवा -244.536 हेक्टेयर के सम्बन्ध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर सम्बधित वन क्षेत्र में निवासरत है या निर्भर हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकतें है।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनें समिति के समस्त सदस्यो के साथ बैठक में उपस्थित होनें की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

क्रमांक/2387 /मो0समिति/2021 दिनांक-28/10/2021

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ।

1. कलेक्टर जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा प्रबंधक निगाही परियोजना कीं ओर सादर सूचनार्थ।

रामजीत सिंह

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम सिगरौली, जि सिगरौली (म0प्र0)

क्र0/12386 /मो0समिति/2021 दिनांक- 20.10.2021

प्रति,

श्री शिव प्रसाद सिंह

सचिव, सदस्य

समिति, वन अधिकार

विषयः—मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति का बैठक की सूचना के सम्बन्ध में ।

—00—

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को समय सुबह 11.30 बजे स्थान ग्राम मुहेर शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिलारी पाठ में निम्न बिन्दुपर मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी। एन0सी0एल0 निगाही परियोजना द्वारा प्रस्तावित वार्ड कमांक 02 मुहेर निगाही परियोजा के वन भूमि की शसक्तीकरण हेतु परिवर्तित हेने वाली वन भूमि (वन खण्ड कमांक कुल रकवा —244.536 हेक्टेयर के सम्बन्ध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर सम्बधित वन क्षेत्र में निवासरत है या निर्भर हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकतें है।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनें समिति के समस्त सदस्यो के साथ बैठक में उपस्थित होनें की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कमांक/ 2287 /मो0समिति/2021 दिनांक- 28/10/2021

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ।

1. कलेक्टर जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा प्रबंधक निगाही परियोजना की ओर सादर सूचनार्थ।

प्रा.प्र. 4/11/21

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम सिगरौली,जि‍ा सिगरौली (म0प्र0)

क्रमांक/2386 /मो0समिति/2021 दिनांक-22.10.2021

प्रति,

श्री गोपाल सिंह

सचिव........कुहवार...........

समिति........वन अधिकार.........

बिषयः-मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति का बैठक की सूचना के सम्बन्ध में ।

-00-

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को समय सुबह 11.30 बजे स्थान ग्राम मुहेर शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिलारी पाठ में निम्न बिन्दुपर मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी। एन0सी0एल0 निगाही परियोजना द्वारा प्रस्तावित वार्ड कमांक 02 मुहेर निगाही परियोजा के वन भूमि की शसक्तीकरण हेतु परिवर्तित हेने वाली वन भूमि (वन खण्ड कमांक कुल रकवा -244.536 हेक्टेयर के सम्बन्ध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर सम्बधित वन क्षेत्र में निवासरत है या निर्भर हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकतें है।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनें समिति के समस्त सदस्यो के साथ बैठक में उपस्थित होनें की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कमांक/2387 /मो0समिति/2021 दिनांक-28/10/2021

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ।

1. कलेक्टर जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा प्रबंधक निगाही परियोजना की ओर सादर सूचनार्थ।

गोपाल सिंह

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम सिगरौली,जि॰ सिगरौली (म॰प्र॰)

क्र॰ 2386 /मो॰समिति/2021 दिनांक-28.10.2021

प्रति

अध्यक्ष/सचिव

सचिव

समिति

विषयः-मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति का बैठक की सूचना के सम्बन्ध में ।

-00-

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को समय सुबह 11.30 बजे स्थान ग्राम मुहेर शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिलारी पाठ में निम्न बिन्दुपर मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी। एन॰सी॰एल॰ निगाही परियोजना द्वारा प्रस्तावित वार्ड क्रमांक 02 मुहेर निगाही परियोजा के वन भूमि की शसक्तीकरण हेतु परिवर्तित हेने वाली वन भूमि (वन खण्ड कमांक कुल रकवा -244.536 हेक्टेयर के सम्बन्ध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर सम्बधित वन क्षेत्र में निवासरत है या निर्भर हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकतें है।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनें समिति के समस्त सदस्यो के साथ बैठक में उपस्थित होनें की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

क्र॰ 2387 /मो॰समिति/2021 दिनांक-28/10/2021

प्रतिलिपि-सूचनार्थ।

1. कलेक्टर जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा प्रबंधक निगाही परियोजना की ओर सादर सूचनार्थ।

प्राप्त पत्रिका

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम सिगरौली,जि0 सिगरौली (म0प्र0)

क्रमांक [illegible] /मो0समिति/2021 दिनांक 28/10/2021

प्रति,

[illegible]

अध्यक्ष [illegible]

सचिव [illegible]

विषय- मोहल्ला समिति/ वन अधिकार समिति की बैठक की सूचना के सम्बन्ध में ।

-00-

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को समय सुबह 11.30 बजे स्थान ग्राम मुहेर शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिलारी पाठ में निम्न बिन्दुपर मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी। एन0सी0एल0 निगाही परियोजना द्वारा प्रस्तावित वार्ड क्रमांक 02 मुहेर निगाही परियोजना के वन भूमि की शासकीकरण हेतु परिवर्तित होने वाली वन भूमि (वन खण्ड क्रमांक कुल रकबा -244.536 हेक्टेयर के सम्बन्ध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर सम्बन्धित वन क्षेत्र में निवासरत है या निर्भर है तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकते है।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने समिति के समस्त सदस्यो के साथ बैठक में उपस्थित होने की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली
दिनांक- 28/10/2021

क्रमांक 2287 /मो0समिति/2021

प्रतिलिपि- सूचनार्थ।

1. कलेक्टर जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा प्रबंधक निगाही परियोजना की ओर सादर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कार्यालय नगर पालिक निगम सिगरौली, जि. सिगरौली (म0प्र0)

कमांक/2386 /मो0समिति/2021 दिनांक-28.10.2021

प्रति,

श्री अमरराम सिंह

सचिव......सदस्य......

समिति......वन अधिकार)

बिषयः–मोहल्ला समिति/वन अधिकार समिति का बैठक की सूचना के सम्बन्ध में ।

–00–

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को समय सुबह 11.30 बजे स्थान ग्राम मुहेर शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिलारी पाठ में निम्न बिन्दुपर मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति में चर्चा की जाएगी। एन0सी0एल0 निगाही परियोजना द्वारा प्रस्तावित वार्ड कमांक 02 मुहेर निगाही परियोजा के वन भूमि की शसक्तीकरण हेतु परिवर्तित हेने वाली वन भूमि (वन खण्ड कमांक कुल रकवा –244.536 हेक्टेयर के सम्बन्ध में चर्चा होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अगर सम्बधित वन क्षेत्र में निवासरत है या निर्भर हैं तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अपना अधिकार मोहल्ला समिति वन अधिकार समिति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकतें है।

कृपया उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनें समिति के समस्त सदस्यो के साथ बैठक में उपस्थित होनें की कृपा करें।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कमांक/ 2387 /मो0समिति/2021 दिनांक– 28/10/2021

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ।

1. कलेक्टर जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डल अधिकारी सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
4. महा प्रबंधक निगाही परियोजना की ओर सादर सूचनार्थ।

अमरसिंह

प्रभारी अधिकारी (राजस्व)
उप कार्यालय मोरवा
नगरपालिक निगम सिगरौली

कार्यालय कलेक्टर -जिला (जनजातीय कार्य विभाग)सिंगरौली

Email id –actw.sgl@mp.gov.in

क्रमांक/5098/ जजाकावि./वन अधि./ 2023 सिंगरौली दिनांक 30/06/2023

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के आयोजित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 30.06.2023 का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत दिनांक **30.06.2023** को दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में कलेक्टर जिला-सिंगरौली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे –

1. श्री अरूण परमार कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
2. श्री अखिल बंसल वन मण्डलाधिकारी/सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
3. श्री संजय खेड़कर सहायक आयुक्त/सचिव सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
4. श्री अशोक सिंह पैगाम सदस्य जिला पंचायत एवं सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
5. श्रीमती यशोदा पनिका सदस्य जिला पंचायत एवं सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।
6. श्रीमती सत्यवती सिंह सदस्य जिला पंचायत एवं सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली।

बैठक आरम्भ के दौरान सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली द्वारा बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत विभिन्न विकास कार्यो हेतु प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु DLC से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जिसमें निम्नानुसार प्रकरण में व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु SDLC बैढ़न (नगरीय) से प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं –

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-1

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत महाप्रबंधक नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड निगाही परियोजना के पत्र क्रमांक/निगाही/जीएम/स्टा.अ.(ख)/पर्या.20-21/1268 दिनांक 06.03.2021 द्वारा NCL निगाही की 25 एम.ए.पी.टी विस्तार परियोजना हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 229.348 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न (नगरीय) के पत्र क्रमाक/5121/2022 दिनांक 07.02.2022 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त अधिनियम की धारा 3(2) के तहत व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

(कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग/वन विभाग)

एजेण्ड बिन्दु क्रमांक-2

सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत पूर्व के निरस्त दावों का एमपी वनमित्र पोर्टल के माध्यम से परीक्षण किया जा रहा है। जिसमें उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति देवसर से अन्य परम्परागत वर्ग के कुल 306 दावे अमान्य की अनुशंसा सहित प्रकरण प्राप्त हुये हैं। समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा समस्त दावों का परीक्षण किया गया तदुपरान्त इन दावों को कारण सहित अमान्य करने का निर्णय लिया गया। कि इन दावों को एक सप्ताह के भीतर वनमित्र पोर्टल पर करने हेतु कलेक्टर/अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग)

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली	वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली	कलेक्टर जिला-सिंगरौली
Yashoda		सत्यवती सिंह
अशोक सिंह पैगाम सदस्य, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली	कु. यशोदा पनिका सदस्य, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली	श्रीमती सत्यवती सिंह सदस्य, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली

पृ.क्रमांक/ 5099/ जजाकावि./वन अधि./ 2023 सिंगरौली दिनांक 20/06/2023

प्रतिलिपिः-

1. संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनायें म.प्र. भोपाल।
2. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल (सामान्य) सिंगरौली।
3. अनुविभागीय अधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति देवसर, बैढ़न, जिला-सिंगरौली ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति देवसर, जिला-सिंगरौली ।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली।
6. महाप्रबंधक नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड निगाही परियोजना जिला-सिंगरौली को सूचनार्थ।
7. माननीय/माननीया सदस्यगण श्री/श्रीमती ....जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली को सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक / 652 / उप0स्त0 वन अधि0स0 / 2023 सिंगरौली दिनांक– 27.04.2023

अनापत्ति प्रमाण पत्र

एन0सी0एल0 निगाही परियोजना अन्तर्गत वार्ड क्र0 02 ग्राम मुहेर में ओ0सी0पी0 विस्तार के लिए 244.536 हे0 वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानो के तहत उपखण्ड स्तरीय बैठक दिनांक 27.01.2022 के परिपालन में 244.536 हे0 वन भूमि विसतार किये जाने हेतु उपखण्ड स्तरी समिति के द्वारा दो तिहाई बहुमत के साथ अनुशंसा की गई थी।

जनरल मैनेजर निगाही परियोजना के पत्र क्रमांक NGH /GM /SO(M) /Env.2022-23/1356 दिनांक 14.02.2023 के तहत एन0सी0एल0 निगाही परियोजना अन्तर्गत वार्ड क्र0 02 ग्राम मुहेर की वन भूमि में ओ0सी0पी0 विस्तार के लिए 244.536 हे0 वन भूमि के स्थान पर वन भूमि कम्पार्टमेन्ट नं0 RF 272, RF 273, RF 274 कुल क्षेत्रफल 229.348 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र में ओसी0पी0 विस्तार करने में नगरपालिक निगम सिंगरौली को कोई आपत्ति नही है।

सचिव / उपायुक्त
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम, सिंगरौली

पृ0क्र0 / 653 / उप0स्त0 वन अधि0स0 / 2023 सिंगरौली दिनांक– 27.04.2023

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर जिला सिंगरौली म0प्र0।
2. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैढ़न जिला सिंगरौली म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

सचिव / उपायुक्त
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम, सिंगरौली

1832 दिनांक 2/5/23

कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक /S121 /उप0स्तरीय वन अधि0स0/2022, सिंगरौली दिनांक–07.02.2022

प्रति,

सहायक आयुक्त
अदिवासी विकास बैढ़न
जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

विषय– वनाधिकार समिति के कार्यवाही विवरण की जानकारी वावत्।

---0---

विषयांकित के संबन्ध में निवेदन है कि मोहल्ला समिति के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 27.01.2022 के उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के बैठक का अयोजन कर वार्ड क्र0 02 ग्राम मुहेर में भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर आपकी ओर अनुसंशित प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही विवरण एवं मोहल्ला समिति का प्रतिवेदन एवं कार्यवाही पंजी की छायाप्रति आपकी ओर सम्प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

सचिव/उपायुक्त
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम, सिंगरौली

1788 28/04/23

कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक / 652 / उप0स्त0 वन अधि0स0 / 2023 सिंगरौली दिनांक– 27·04·2023

अनापत्ति प्रमाण पत्र

एन0सी0एल0 निगाही परियोजना अन्तर्गत वार्ड क्र0 02 ग्राम मुहेर में ओ0सी0पी0 विस्तार के लिए 244.536 हे0 वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानो के तहत उपखण्ड स्तरीय बैठक दिनांक 27.01. 2022 के परिपालन में 244.536 हे0 वन भूमि विसतार किये जाने हेतु उपखण्ड स्तरी समिति के द्वारा दो तिहाई बहुमत के साथ अनुशंसा की गई थी।

जनरल मैनेजर निगाही परियोजना के पत्र क्रमांक NGH /GM /SO(M) /Env.2022-23/1356 दिनांक 14.02.2023 के तहत एन0सी0एल0 निगाही परियोजना अन्तर्गत वार्ड क्र0 02 ग्राम मुहेर की वन भूमि में ओ0सी0पी0 विस्तार के लिए 244.536 हे0 वन भूमि के स्थान पर वन भूमि कम्पार्टमेन्ट नं0 RF 272, RF 273, RF 274 कुल क्षेत्रफल 229.348 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र में ओसी0पी0 विस्तार करने में नगरपालिक निगम सिंगरौली को कोई आपत्ति नही है।

सचिव / उपायुक्त
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम, सिंगरौली

पृ0क्र0 / 653 / उप0स्त0 वन अधि0स0 / 2023 सिंगरौली दिनांक– 27·04·2023

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर जिला सिंगरौली म0प्र0।
2. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैढ़न जिला सिंगरौली म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

सचिव / उपायुक्त
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम, सिंगरौली

कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक /   / उप0स्त0वन अधि0स0 / 2022   सिंगरौली दिनांक

कार्यवाही विवरण

एन0सी0एल निगाही परियोजना अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 02 लक्ष्मीबाई वार्ड, ग्राम मुहेर की वन भूमि कम्पार्टमेंट नं0 RF 271, RF 272, RF 273, RF274 रकबा 244.536 हे0 वन भूमि के व्यपवर्तन के सम्बन्ध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानो के तहत उपखण्ड स्तरीय बैठक का कार्यवाही विवरण:-

कलेक्टर महोदय सिंगरौली के आदेश क्रमांक 3079/आदि0वि0/वन अधि0/41/2015 सिंगरौली दिनांक 12.10.2015 के अनुसार गठित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न सिंगरौली (म0प्र0) की बैठक सूचना क्रमांक 4646 दिनांक 21.01.2022 के अनुशरण में आज दिनांक 27.01.2022 को समय 4:00 बजे एस0डी0एम0 सिंगरौली के कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

एन0सी0एल0 निगाही परियोजना अन्तर्गत वार्ड क्र0 2 मुहेर में ओ0सी0पी0 विस्तार के लिए 244.536 हे0 वन भूमि के व्यवपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत मोहल्ला समिति के द्वारा दो तिहाई बहुमत के साथ अनुसंशित वार्ड का प्राप्त प्रतिवेदन का सारवृत सहित प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष विचारण हेतु रखा गया। बैठक में चर्चा के दौरान उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा ओ0सी0पी0 विस्तार हेतु वार्ड क्र. 02 निगाही क्षेत्र के अन्तर्गत 244.536 हे0 वन भूमि विस्तार किये जाने में किसी भी प्रकार की आपत्ति जाहिर नही की गई और न ही प्रस्तावित भूमि के किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के व्यक्तिगत या सामूहिक दावेदार पाये गए।

अतः ऐसी स्थिति में उपखण्ड स्तरीय समिति उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का पूर्ण बहुमत के साथ अनुसंशा करती है।

अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति/
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड बैढ़न

सचिव/उपायुक्त
उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम, सिंगरौली

उपवन मण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल बैढ़न

नगरीय संस्था के प्रतिनिधि
(जोनल अधिकारी)
नगर निगम, सिंगरौली

श्रीमती अनारकली
सदस्य
अनुसूचित जनजाति

श्रीमती मुनिया देवी
सदस्य
अनुसूचित जाति

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार के बैठक का कार्यवाही विवरण

कार्यालयीन सूचना क्रमांक 1646 दिनांक 21.01.2022 के निर्धारित कार्यक्रमानुसार वार्ड क्र. 17 लक्ष्मीबाई वार्ड ग्राम मुहेर क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति एवं वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न सिंगरौली की बैठक दिनांक 27.01.2022 को समय 4.00 बजे निर्धारित समय एवं स्थान पर सम्पन्न हुई। जिसमे निम्नानुसार समिति के पदाधिकारी उपस्थित हुए। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(i) उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली — अध्यक्ष

(ii) उपवन मण्डलाधिकारी सिंगरौली (बैढ़न) — सदस्य

(iii) श्रीमती अनारकली, अनुसूचित जनजाति — सदस्य

(iv) श्रीमती मुनिया देवी अनुसूचित जाति — सदस्य

(v) श्री आर.पी. बैस उपायुक्त उपायुक्त नगर पालिक निगम — सदस्य

(vi) जोनल अधिकारी उप कार्यालय नवजीवन विहार (गोरबी) — जोनल अधिकारी

कलेक्टर महोदय सिंगरौली के आदेश क्रमांक 3079/आदिवि/वन अधि./01/2015 सिंगरौली दिनांक 12.10.2015 के अनुसार गठित उपखण्ड स्तरीय अधिकार समिति बैढ़न सिंगरौली मध्यप्र. की बैठक सूचना क्रमांक 1646 दिनांक 21.01.2022 के अनुक्रम में आज दिनांक 27.01.2022 को समय 4.00 बजे कलेक्टर एस.डी.एम. सिंगरौली के कार्यालय में बैठक आयोजित हुई बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

एन.सी.एल सिंगरौली परियोजना अन्तर्गत वार्ड क्र० 2 मुहेर मे ओ.बी.पी. विस्तार के लिए 244.536 हे. वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत मोहल्ला समिति के द्वारा दो तिहाई बहुमत के साथ अनुशंसित वार्ड का प्राप्त प्रतिवेदन का साबूत सहित प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु रखा गया। बैठक मे चर्चा के दौरान उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के ~~समक्ष~~ द्वारा ओ.बी.पी. विस्तार हेतु वार्ड क्र० 2 सिंगरौली क्षेत्र के अन्तर्गत 244.536 हे. वन भूमि विस्तार किए जाने मे किसी भी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की गई और न ही प्रस्तावित भूमि के किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के व्यक्तिगत दावेदार पाए गये।

अतः ऐसी स्थिति मे उपखण्ड स्तरीय समिति उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का पूर्ण बहुमत के साथ अनुसंशा करती है।

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
सिंगरौली (उपखण्ड)

सचिव
वन अधिकार समिति
सिंगरौली (उपखण्ड)

मोहल्ला वन अधिकार समिति वार्ड क0-02 लक्ष्मीबाई वार्ड मुहेर नगर निगम क्षेत्र जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली दिनाँक 25.11.2021

क्रमाँक 2396 मो0समिति/2021

प्रति,

श्रीमान् उपायुक्त महोदय,
नगर पालिक निगम, कार्यालय बैढ़न
जिला - सिंगरौली (म0प्र0)

2939
26.11.21

विषयः- एनसीएल निगाही ओ0सी0पी0 के पक्ष में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार के दावों के निराकरण करने हेतु मोहल्ला वन समिति वार्ड क0-02 की बैठक एवं कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भः- आपका पत्र क0- 3032/ न0नि0/ वन अधि0/ 2021
दिनाँक 07.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत के संबंध में एनसीएल निगाही ओ0सी0पी0 विस्तार परियोजना के पक्ष में नगर निगम अन्तर्गत वन भूमि स्थित रकबा 244.536 हे0 प्रस्तावित है (प्लान संलग्न)। उक्त रकबा नगर निगम सिंगरौली क्षेत्र मध्यप्रदेश के अन्तर्गत आता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनिमय 2006 के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में वन अधिकारों के कियान्वयन हेतु वार्ड क0-02 (लक्ष्मीबाई वार्ड में गठित मोहल्ला समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों को पत्र के माध्यम से सूचित कर दावा आपत्ति के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित तिथि को बैठक की सूचना दी गई (छायाप्रति संलग्न)।

व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार के दावों को प्राप्त करने के लिये गठित मोहल्ला वन अधिकार समिति की बैठक मुहेर स्थित बिलारीपाट में शासकीय विद्यालय में दिनाँक 10.11.2021 को सुबह 11.30 बजे आयोजित की गई। दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सर्व साधारण को सूचना देने के संबंध में बैठक पूर्व सूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया (प्रति संलग्न)। उक्त पूर्व निर्धारित बैठक में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों के साथ-साथ नगर निगम एवं एनसीएल के पदाधिकारी मय दस्तावेज के साथ उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सभी

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector SINGRAULI

****

SINGRAULI Dated 17/07/2023

No. 5489 /FRA/TRIBAL/2023

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCREN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) of the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. it is certified that 229.348 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Nigahi Expansion Project of M/s Northern Coalfields Limited, Singrauli (Govt. of India Undertaking)for Opencast Coal Mining in Singrauli district falls within jurisdiction of Ward No. 2, Laxmibai Ward(Village –Muher) in Singrauli Compartment No RF 272, RF 273, RF 274).

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 229.348 hectares of forest land purposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Mohalla Forest Rights Committees(s), Mohalla Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan Singrauli are enclosed as annexure 1 (1-20) , annexure 2 (1-06)

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular / local language) have been places before each concerned Mohalla Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Mohalla Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and the details for proposed diversion. A copy of certificate issued by the Mohalla sabha of Ward No. 2, LaxmibaiWard(Village – Muher) in Singrauli Nagar Palik (Municipal Corporation), Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, Singrauli & District levelForest Rights Committee, Singrauli and is enclosed as annexure 3(01-14) annexure 4 (01-03)

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when was a quorum of minimum 50% of the Members of Mohalla Sabha presence,

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Mohalla Sabha have given their consent to it,

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl. As above.

Collector
DISSTT-SINGRAULI